कोटा शहर में भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकली

कोटा, (निसं)। पारीक पंचायत द्वारा कोटा शहर में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा भक्ति भाव से निकाली। प्रवक्ता राहुल पारीक ने बताया कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथयात्रा में भक्ति और उत्सव के रंग में दिखे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ रथयात्रा में हिस्सा लिया और प्रभु जगन्नाथ के जयकारों के साथ रथ खीचते रहे।

अध्यक्ष रासबिहारी पारीक ने बताया कि पारीक पंचायत गत 17 वर्षो से निरंतर रथयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विराट, भव्य रथ में प्रभु जगन्नाथ नगर भ्रमण को निकले लोगों ने उनके दर्शन के प्रति व्याकुल दिखे। महामंत्री अशोक पारीक ने बताया कि रथयात्रा के प्रेरणा स्त्रोत स्व.प्रभुलाल दानजी वाले है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा थे। संरक्षक डॉ.के.के.पारीक एवं शीला पारीक ने रथयात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की।

महामंत्री अशोक पारीक ने बताया कि रथयात्रा में कैलाश पारीक, विनोद पारीक, कमलेश पारीक, डॉ.श्रीपारीक, सत्यनारायण पारीक, शिव गोपाल पारीक, जय प्रकाश पारीक, रेवती रमन पारीक, निर्मला पारीक, अनीता पारीक, प्रतीक्षा पारीक, रश्मि पारीक, रानी पारीक, देवेंद्र पारीक साबरमती, अशोक व्यास, विष्णु प्रसाद पारीक, लक्ष्मी कांत पारीक, महेश पारीक, मदन गोपाल पारीक, अक्षय पारीक, भूपेंद्र पारीक, कैलाश पारीक, दिनेश पारीक, राकेश, योगेश पारीक (ढोटी वाले), सीताराम पारीक आदि लोगों उपस्थित रहे।

कोटा में भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली गई।

भारतीय संस्कृति दर्शन है रथयात्रा:- विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि जगन्नाथ रथयात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत प्रदर्शन भी है। यह आयोजन भक्ति, एकता और सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक है। समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस परम्परा को ऐसे ही निभाते रहे और अधिक सहभागिता के लिए प्रयास करे।

भक्तों का उत्साह:- रथयात्रा के मार्ग पर हजारों भक्त एकत्रित थे। लोगों ने भजन-कीर्तन के साथ रथ को खींचने में भाग लिया। कई श्रद्धालु पूरे रास्ते नंगे पांव चलते रहे। पूरा माहौल भक्ति भाव से सराबोर हो गया। महिला मंगल गीत गा रही थी। यात्रा में विभिन्न भगवानों की झांकियां भी रथयात्रा में शोभायमान थी। रथ यात्रा के मुख्य आकर्षण नन्हे बालक बालिकाएं रही जो राधाकृकृष्ण के वेशभूषा में रथ यात्रा की हिस्सा रही। कार्यक्रम के अंत अतिथियों ने उन्हे पुरस्कृत किया।

यह रहा रथयात्रा का मार्ग:- अध्यक्ष रासबिहारी पारीक ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन सांय 06 बजे श्रीपुरा स्थित जगदीश मंदिर से किया। श्रीपुरा मंदिर से भगवान दर्शन देते हुए बिड़ला मेडिकल, मोखापाड़ा, कैथूनीपोल पुलिस थाना, फर्नीचर मार्केट, लाल बुर्ज, गंधीजी की पुल से सुभाष सर्किल टिप्पण चौकी होते हुए मंदिर परिसर पहुंची शोभायात्रा में भक्त गण परम्परागत वेशभूषा में रथयात्रा से

- भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के साथ नगर भ्रमण को निकले

जुड़े। रथयात्रा में यात्रा में बैंड,घोड़े, ऊंट गाड़ियां बग्गियों पर राधा कृष्ण, भगवान भोले बिराजे तथा बटुक वेदपाठ करते हुए रहे। जीवंत झांकियां, के साथ महर्षि पाराशर की झांकी भी रही। रथयात्रा मंदिर परिसर में पहुँचने के उपरांत सभी श्रद्धालु महाआरती में भाग लिया।

भव्य श्रृंगार,संर्कीतन में जुटे लोग:- अध्यक्ष रास बिहारी पारीक ने बताया कि श्रीपुरा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से आयोजित रथयात्रा के पूर्व भगवान का संकीर्तन किया दोपहर 2 बजे किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से ढोलक, मृदंग, ताल, हारमोनियम, तबला आदि वाद्य यंत्रों से मंदिर परिसर में सामूहिक संकीर्तन किया। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहिन सुभद्रा मंगलाचार के साथ स्नान के बाद वस्त्र पहनाए और फूलों से भव्य झांकी सजाई। पूर्व अध्यक्ष रवि पारीक ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को सजाने के लिए विशेष वस्त्र, आभूषण और अन्य सामग्री का उपयोग होता है। सम्पूर्ण मंदिर परिसर को विद्युत आभा से सुशोभित था।

मां की डांट से नाराज छात्रा एवं पढ़ाई में मन ना लगने से छात्र ने कोटा छोड़ा

कोटा, (निसं)। शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके से दो स्टूडेंट के पलायन का मामला सामने आया था। दोनों ही स्टूडेंट कोटा में कोचिंग करने के लिए आए थे जिनमें एक नाबालिक लड़की थी और दूसरा 19 वर्षीय छात्र था। दोनों अलग-अलग तारीखों में लापता हुए थे जिन्हें कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने तलाश कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इनमें छात्रा अपनी मां की डांट से नाराज होकर मुंबई चली गई थी जबकि छात्र पढ़ाई में मन नहीं लगने के चलते बेंगलुरु चला गया था।

दोनों की गुमशुदगी कुन्हाडी थाने में अलग-अलग दिन दर्ज हुई थी। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि झारखंड निवासी टुनी कुमारी ने 5 जुलाई को थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी थी कि कोटा में अपने तीन बच्चों को वह कोचिंग करवा रही है और कमला उद्यान में किराए से रहती है। उनमें से 16 वर्षीय बड़ी लड़की दसवीं में पढ़ रही थी वह 5 जुलाई को शाम 4 बजे के बाद लापता हो गई है।

इसके संबंध में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई। लापता छात्रा के भाई-बहनों ने बताया कि मां ने उसे डांट दिया था जिसके बाद ही वह नाराज होकर चली गई। इस मामले में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तब वह रेलवे जंक्शन के कैमरे के फुटेज में मुंबई की ट्रेन में बैठती नजर आई। इसके बाद पुलिस ने उसे मुंबई के अंधेरी से सकुशल दस्तयाब कर लिया।सीआई भारद्वाज ने बताया कि वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के महोलिया निवासी धुम पाल सिंह ने 2 जुलाई को सूचना अपने 19 वर्षीय बेटा भरत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

- पुलिस ने दोनों को अलग-अलग शहर से दस्तयाब किया
- दोनों की गुमशुदगी अलग-अलग दिन कुन्हाड़ी थाने में दर्ज हुई थी

उन्होंने बताया था कि भरत पीजी में रहता है। वह सुबह 7 बजे वह पीजी को छोड़कर कहीं चला गया है। इस मामले में तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसका रूट पीजी की तरफ से रेलवे जंक्शन की तरफ आया।

ऐसे में जब जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि वह बेंगलुरु चला गया है। जहां से उसे पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। उसने पूछताछ में बताया है कि पढाई में मन नहीं लगने के चलते घरवालों को बिना बताए ही वह पलायन कर गया था।

विधिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार गोरव चावला पुत्र स्व. जयदेव निवासी-म.न. D-48 चित्रेश नगर बारां रोड जिला कोटा के आधिपत्य व स्वामित्व की एक सम्पत्ति शौरुम भुतल (बिना छत के अधिकार) वाके भूखंड सं. 253 शोपिंग सेन्टर कोटा जिला कोटा में स्थित है। उक्त सम्पत्ति मेरे पक्षकार को उनकी माता विनीता चावला पत्नी स्व. श्री जयदेव चावला से जरिये रजि. वसीयत दिनांक 10.09.2021 से प्राप्त हुई थी। यह कि विनीता चावला के स्वर्गवास के पश्चात उक्त सम्पत्ति पर मेरे पक्षकार का ही आधिपत्य व स्वामित्व चला आ रहा है। यह कि उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार गोरव चावला द्वारा एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा घोड़े वाले बाबा सर्किल कोटा में रहन रखकर ऋण लिया जा रहा है।

यह कि उक्त सम्पत्तियों को एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा घोड़े वाले बाबा सर्किल कोटा द्वारा रहन रखकर ऋण देने के संबंध में यदि किसी आम व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर-भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति दर्ज करा देवें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दिनांक : 06.07.2024 अजय शर्मा एडवोकेट मकान नं. 1031, 1032, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा (राज.) मो. 7073030526, 8239229798

कोटा के जे एस के ग्रुप के सदस्यों ने सोमवार को श्री कृष्ण मुरारी गौशाला के प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर एडवोकेट राज ठाकुर, जानकी ठाकुर, किशन रतनानी, पूनम रतनानी, श्री कृष्ण मुरारी गौशाला के सचिव श्याम रोहिड़ा, मंशा रोहिड़ा, सह सचिव विजय नेभनानी, भागवंती खूबचंदानी, विमल परियानी, संतोष करमचंदानी, कन्हैया ग्वालानी, रचना ग्वालानी, विनोद अजवानी, रीटा अजवानी, जयपाल लोकवानी, रमेश ठाकुर आदि उपस्थित थे।

यू.टी.एस. एप पर जनरल टिकट बुकिंग की सुविधा यात्रियों को लम्बी कतार से राहत मिली

कोटा, (निसं)। अनारक्षित टिकट यात्रियों के समय की बचत और लाइन में लगने की झंझट से निजात दिलाने के उद्देश्य से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक रोहित मालवीय के निर्देशन में वाणिज्य रेल कर्मियों द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल एप का उपयोग करने के लिए मंडल में चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप कोटा रेल मंडल में इस वितीय वर्ष 2024-25 के तीन माह (अप्रैल, मई एवं जून) में 3,00,744 यात्रियों ने इस मोबाइल एप के माध्यम से कुल 87,700 टिकट बुक किए, जिससे रेलवे को रुपये 79 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यदि केवल जून माह की बात करें तो 1,02,276 यात्रियों ने इस मोबाइल एप के माध्यम से कुल 29,178 टिकट बुक किए जिससे मंडल को 25.9 लाख का राजस्व मिला। जोकि गत सत्र के जून माह की तुलना में 61.32 प्रतिशत अधिक एप से टिकट बुकिंग है। कोटा मंडल के सभी स्टेशनों पर ऑनलाइन अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध है। रेलवे ने हाल ही में एप से टिकट बुक करने की अधिकतम दूरी की बाध्य सीमा 20 किलोमीटर को भी समाप्त कर दिया है जिससे यात्रियों को किसी स्थान से अपना टिकट बुक करने की सुविधा मिली है। यूटीएस ऑन मोबाइल एप शुरू करने का उद्देश्य डिजिटल टिकटिंग मोड को प्रोत्साहित करना, सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि यात्री कतारों की परेशानी का सामना किए बिना टिकट खरीद सकें। प्रबन्धक रोहित मालवीय ने अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे मोबाइल टिकटिंग एप से जुड़े हितों का लाभ उठाएं।

पश्चिम मध्य रेल

मुख्य कारखाना प्रबंधक
माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा

निविदा सं.:S-243-3-1-DATAENTRY-04

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मु0का0प्र0, माल डिब्बा मरम्मर कारखाना कोटा निम्नलिखित कार्य की ई-निविदा आमंत्रित करते है: **टेण्डर सं0:** S-243-3-1-DATAENTRY-04, **कार्य का विवरण:** माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा प.म.रे. में चौबीस माह की अवधि हेतु "वर्कशॉप सूचना प्रणाली(WISE) में डेटा एंट्री के कार्य की आउटसोर्सिंग।", **अनुमानित लागत रू. में:** रूपये 46,37,203.20/-, **निविदा प्रपत्र राशि रू. में:** निल, **बयाना राशि रू. में:** रूपये 92,800.00, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 24 माह, **निविदा बंद/खोलने की तारीख और समय:** बंद होगा 11:30 बजे दिनांक 26.07.2024 एवं खोला जाएगा 12:00 बजे दिनांक 26.07.2024 । ई-निविदा वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दी गई है तथा मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय कोटा के प्रगति अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई निविदा के माध्यम से इसी वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेंगें। इस निविदा के लिये मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि ऐसा कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी.-II
मा.डि. म. कारखाना, पमरे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100727 **लोक सूचना** दि.08.07.2024

श्री PARITESH JAIN पुत्र श्री ADESH JAIN जाति JAIN निवासी 47 KAMALA UDHYAN KUNHADI KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बालिता, लाडपुरा (कोटा)	KALANYI BAI W/O LATE BHURIYA URF BHANWARLAL HISSA 1/2 CASTE BRAHMAN, 2. DEVKINANDAN S/O BHURIYA UR BHANWAR LAL HISSA 1/2 CASTE-BRAHMAN KHATEDAR	228	13700	1.37
				कुल	1.37

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08/07/2024 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100728 **लोक सूचना** दि.08.07.2024

श्री PARITESH JAIN पुत्र श्री ADESH JAIN जाति JAIN निवासी 47 KAMALA UDHYAN KUNHADI KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कुनारी, लाडपुरा (कोटा)	JITENDRA GOYAL S/O CHETAN RAJ GOYAL CASTE MAHAJANCHET	148	8000	0.8
				कुल	0.8

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08/07/2024 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/6360 दिनांक:-8.7.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सागर अरोड़ा पुत्र स्व.श्री मनोहर लाल, सुश्री वंशिका मेंहदीरत्ता पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार एवं सुश्री नव्या अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार निवासी भूखण्ड संख्या 319-ए तलवण्डी, कोटा (राज.)ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 319-ए तलवण्डी, कोटा का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 319-ए तलवण्डी, कोटा का 99 वर्षीय पट्टेदारी के आधार पर बिक्री कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ ()/विक्रय/75-76/281 दिनांक 25.03.1975 से श्री मनोहर लाल पुत्र श्री निर्मल दास को किया गया। श्री मनोहर लाल का देहावसान दिनांक 14.10.2006 को हो जाने के उपरान्त श्री मनोहर लाल के विधिक वारिसान श्रीमती ज्योति पुत्री स्व.श्री मनोहर लाल पत्नी श्री विशाल अरोड़ा, श्रीमती राखी मलिक पुत्री स्व.श्री मनोहर लाल पत्नी श्री अकुंश मलिक एवं श्रीमती राशि अरोड़ा पत्नी स्व.श्री मनोज कुमार बहैसियत स्वयं व कुदरती संरक्षक नाबालिग पुत्रियां सुश्री वंशिका मेंहदीरत्ता पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार एवं सुश्री नव्या अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 26.03.2024 से उक्त भूखण्ड में से स्वयं का हक श्री सागर अरोड़ा पुत्र स्व.श्री मनोहर लाल के पक्ष में त्याग दिया है। सुश्री वंशिका मेंहदीरत्ता पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार एवं सुश्री नव्या अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार श्री मनोहर लाल के विधिक वारिसान श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल की पुत्रीयां है। आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

36 मकान मालिकों को नोटिस दिए

कोटा, (निसं)। एंटी डेंगू जुलाई माह और "कामयाब कोटा बनाना है, डेंगू को हराना" अभियान के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की 726 टीमों ने 12198 घरों का सर्वे किया। डेंगू, मलेरिया, चिगनुनिया आदि मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। इस दौरान लार्वा मिलने पर 36 मकान मालिकों को नोटिस देकर आगाह किया गया है। डिप्टी सीएमएचओ हैल्थ डॉ घनश्याम मीना ने बताया कि टीमों ने घरों के 21203 कंटेनरों जैसे पानी की टंकियां, कूलर, ड्रम, परिण्डे, गमले, फ्रीज की ट्रे और छतों पर रखे पानी जमा हो सकने वाले टायर, कबाड़ आदि की जांच की। इनमे से लार्वा मिले 185 कंटेनरों को उपचारित किया। इनके अलावा 1547 कंटेनरों को खाली कराया।

'राजश्री योजना में अब हर नवजात के नाम पर पौधारोपण होगा'

कोटा, (निसं)। सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पौधारोपण अभियान को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्य किया जाए।

इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राजश्री योजना अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्मे प्रत्येक नवजात के नाम एक पेड़ लगाने का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक नवजात के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के समय एक पौधा उसके परिजनों को उपहार स्वरूप प्रदान किया जाए। जिसे नवजात के नाम से रोपकर उसकी बेहतर सार-संभाल के लिए प्रेरित किया जाए। वर्षा के मौसम को देखते हुए जल भराव वाले स्थानों की निरंतर निगरानी करते हुए एहतियात बरतने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। डेंगू की रोकथाम के मध्यनजर निरंतर सर्वे कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नियमित तौर पर डेंगू से बचाव के संबंध में प्रार्थना सभाओं में जानकारी एवं डेमो दिया जाऐं। आरयूआईडीपी के कनेक्शन संबंधी कार्य की जांच के लिए उत्तर व दक्षिण नगर निगम आयुक्तों सहित कमेटी गठित करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। स्थानीय निकाय एवं नगर निगम क्षेत्रों में वर्षा जल भराव की सूचना पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने, नियमित निरीक्षण कर आम रास्तों पर, मेन होल, गड्ढों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। अति जिला कलक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला, केडीए सचिव कुशल कोठारी, सीईओ जिला परिषद अशोक त्यागी, नगर निगम (उत्तर) आयुक्त अनुराग भार्गव, नगर निगम (दक्षिण) आयुक्त सरिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे।

- प्रशासन की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जरिए नवाचार होगा

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

सूचना

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा निम्न वर्णित डिफॉल्टर ऋणी की बंधक रखी सम्पत्ति का बेचान सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नीलामी द्वारा कर दिया गया है तथा नीलामी से प्राप्त राशि को ऋण की बकाया राशि के पेटे समायोजित कर दिया गया है।

चूंकि बैंक के पास निम्न ऋणी के वर्तमान सम्पर्क पते उपलब्ध नहीं है अत: समायोजन के पश्चात बची शेष राशि के सन्दर्भ में ऋणी को इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप एयू बैंक की नजदीकी शाखा में KYC Documents सहित15 दिवस के भीतर व्यक्तिश: सम्पर्क करें:- सम्पर्क सूत्र:- विनोद शर्मा - 9116621170

ऋण खाता संख्या	ऋणी का नाम
L9001060113884240, L9001060830129329, L9001060825355173	अजय पालीवाल पुत्र कन्हैया लाल (ऋणी), आरती पालीवाल पत्नी अजय पालीवाल (सह-ऋणी), रामभरोस पालीवाल पुत्र राम कुमार पालीवाल (सह-ऋणी), कन्हैया लाल पालीवाल पुत्र राम कुंवर पालीवाल उर्फ राम कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती उषा बाई पालीवाल पत्नी रामभरोस (सह-ऋणी), केशव एंटरप्राइजेज जरिये प्रोपराइटर अजय पालीवाल (ऋणी)

दिनांक- 08.07.2024
स्थान - कोटा

S/d
प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/6361 दिनांक:-8.7.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सागर अरोड़ा पुत्र स्व.श्री मनोहर लाल, सुश्री वंशिका मेंहदीरत्ता पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार एवं सुश्री नव्या अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार निवासी भूखण्ड संख्या 319-ए तलवण्डी, कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या बी-430 इन्द्र विहार आवासीय योजना, कोटा क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या बी-430 इन्द्र विहार आवासीय योजना, कोटा क्षेत्रफल 167.17 वर्गमीटर का आवंटन रीको द्वारा पत्र क्रमांक यू (16)-3(14-430)/93/5353 दिनांक 30.11.1994 से श्री मनोहर लाल पुत्र श्री निर्मल दास को किया गया। श्री मनोहर लाल का देहावसान दिनांक 14.10.2006 को हो जाने के उपरान्त श्री मनोहर लाल के विधिक वारिसान श्री मनोज कुमार अरोड़ा पुत्र स्व.श्री मनोहर लाल, श्री सागर अरोड़ा पुत्र स्व.श्री मनोहर लाल, सुश्री ज्योति अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोहर लाल एवं सुश्री राखी अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोहर लाल ने जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 08.11.2006 से उक्त भूखण्ड में से स्वयं का हक श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी स्व.श्री मनोहर लाल के पक्ष में त्याग दिया। श्रीमती शकुन्तला रानी का देहावसान दिनांक 19.07.2013 को हो जाने के उपरान्त श्रीमती शकुन्तला रानी के विधिक वारिसान श्रीमती ज्योति पुत्री स्व.श्री मनोहर लाल पत्नी श्री विशाल अरोड़ा, श्रीमती राखी मलिक पुत्री स्व.श्री मनोहर लाल पत्नी श्री अकुंश मलिक एवं श्रीमती राशि अरोड़ा पत्नी स्व.श्री मनोज कुमार ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड 14.06.2024 से उक्त भूखण्ड में से स्वयं का हक श्री सागर अरोड़ा पुत्र स्व.श्री मनोहर लाल के पक्ष में त्याग दिया है। सुश्री वंशिका मेंहदीरत्ता पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार एवं सुश्री नव्या अरोड़ा पुत्री स्व.श्री मनोज कुमार श्री मनोहर लाल के विधिक वारिसान श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल की पुत्रीयां है। आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

सरपंच संघ राजस्थान के आव्हान पर राजस्थान की सभी पंचायतों पर ताले लगाए

कोटा, (निसं)। सरपंच संघ राजस्थान द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये गए आव्हान पर सोमवार को संपूर्ण राजस्थान में सरपंचों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायत पर ताले लगाए। सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि 4 जुलाई को जयपुर में संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता मे मीटिंग आयोजित की गई थी। जिसमें बताया कि राज्य वित्त आयोग का ग्राम पंचायत के विकास का फंड विगत दो वर्षों से नहीं दिया गया है।

- मांगे नहीं मानी गई तो 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव होगा

सरपंच संघ के आव्हान पर पंचायत कार्यालय पर सरपंचों ने ताले लगा दिए।

रोका गया फंड सन 2022-23 का 600 करोड़ एवं 2023-24 का 4142 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष 24-25 का 2000 करोड़ रुपए यह करीबन राज्य सरकार पर कुल 6142 करोड़ राज्य बकाया है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग का वित्तीय वर्ष 2023-24 का 872.86 करोड़ एवं 2024 25 का लगभग लगभग 2000 करोड रुपए बकाया है। कुल लगभग 2872.86 करोड़ बताया है। वही नरेगा सामग्री भुगतान करीबन 7000 करोड रुपए बकाया है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास व खाद्य सुरक्षा का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिए जाने की भी मांग है। इसी के तहत आंदोलन के अगले चरण में 10 तारीख को पंचायत समिति मुख्यालय व 12 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर 18 जुलाई को राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/6355 दिनांक: 8.7.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार विजय पुत्र स्व. श्री आनन्द स्वरुप विजय निवासी भूखंड संख्या-373-सी मोदी होस्टल के पास तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 373-सी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट का विक्रय कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा (राज.) के क्रमांक एफ (8652-53) आवंटन/न.वि.न्या./71-72 दिनांक 11.07.1974 से श्रीमती जमीला पत्नी श्री गुलाब खान को किया गया। श्रीमती जमीला पत्नी श्री गुलाब खान की मृत्यु 17.07.1987 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान श्रीमती सलमा बानो पत्नी सुल्तान खान के नाम कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा लीज डीड का निष्पादन किया गया है। जो कि पंजीयन कार्यालय में 29.03.1991 को पंजीकृत करायी गई है। श्रीमती सलमा बानो पत्नी सुल्तान खान द्वारा श्री के.बी. विजय पुत्र श्री राम कल्याण गुप्ता को दिनांक 02.04.1991 को मुख्तारआम नियुक्त किया है। श्री के.बी. विजय पुत्र श्री राम कल्याण गुप्ता मुख्तारआम श्रीमती सलमा बानो पत्नी सुल्तान खान द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.05.1991 से श्री आनन्द स्वरुप विजय पुत्र श्री राम कल्याण गुप्ता को विक्रय किया गया है। श्री आनन्द स्वरुप विजय पुत्र श्री राम कल्याण गुप्ता की मृत्यु दिनांक 20.10.2001 को हो चुकी है एवं श्रीमती बसंती देवी पत्नी श्री आनन्द स्वरुप विजय की मृत्यु दिनांक 25.01.2011 को हो चुकी है। माता-पिता की मृत्यु उपरांत उनके एकमात्र विधिक वारिसान श्री जोगेन्द्र कुमार विजय पुत्र स्व. श्री आनन्द स्वरुप विजय के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-625 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-05.07.24

नगर विकास न्यास कोटा की विवेकानन्द नगर आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 93 कार्नर का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 18.11.1998 को श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा को किया गया था। आवंटी श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री कैलाश चंद जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 को श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन एवं श्रीमती विनिता जैन पत्नी श्री अरविन्द जैन को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 93 कार्नर योजना विवेकानन्द नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन एवं श्रीमती विनिता जैन पत्नी श्री अरविन्द जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-769 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 05.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा सुभाष नगर आवासीय योजना भूखण्ड संख्या 1099 का आवंटन पत्र 271 दिनांक 30.04.1991 को श्रीमती विशनी माखीजा पत्नि श्री आडतमल को किया गया था। आवंटी श्रीमती विशनी माखीजा पत्नि श्री आडतमल को द्वारा उक्त भूखण्ड का मुख्तारआम श्री अमृत लाल पुत्र श्री मांगी लाल को मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। मुख्तारआम श्री अमृत लाल पुत्र श्री मांगी लाल द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 1099 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2014 को श्री बिरधी चन्द रेगर पुत्र श्री कजोड़ी लाल रेगर के द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 1099 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री बिरधी चन्द रेगर पुत्र श्री कजोड़ी लाल रेगर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-770 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-5.7.24

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना सुभाष नगर आवासीय योजना भूखंड संख्या 503 का आवंटन/हस्तान्तरण पत्र क्रमांक UIT-KOTA/FY19-20/MUT/240 दिनांक 18.04.1991 से विजय कुमार पारीक पुत्र श्री सत्यनारायण पारीक को नाम हस्तांतरण किया गया था। आवंटी श्री विजय कुमार पारीक पुत्र श्री सत्यनारायण पारीक की मृत्यु दिनांक 14.06.2023 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती अर्चना बन्धु पारीक पत्नी स्व. श्री विजय कुमार पारीक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत उक्त आवास के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 503 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती अर्चना बन्धु पारीक पत्नी स्व. श्री विजय कुमार पारीक के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1546 **विज्ञप्ति** दिनांक:-8.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयाखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना गणपति नगर खसरा नं. 438, 442 में स्थित भूखण्ड संख्या 70 आवेदक/आवेदिका श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द चित्तोडा जर्ये मुख्तारआम श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी 2-न-17 दादाबाडी कोटा राज. द्वारा विक्रय स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली की अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 5150 दिनांक 29.03.2008 को श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द चित्तोडा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा अनरजिस्टर्ड नोटेरी शुद्धा मुख्तारनामा आम क्रमांक 1068 दिनांक 15.07.2008 को श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार, विक्रय आदि करने हेतु नियुक्त किया गया है।

अत: श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द चित्तोडा जर्ये मुख्तारआम श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा के पक्ष में विक्रय स्वीकृति जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-2301 **विज्ञप्ति** दिनांक:-8.7.24

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत मोहनलाल सुखाडिया (जी+3) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में सामान्य कोटे से वसीयता क्रमांक-249 का प्रोविजनल आवंटन क्रमांक एफ11/नविन्या/लॉटरी/307 दिनांक 21.12.2012 का लॉटरी द्वारा श्री अब्दुल सलाम अन्सारी पुत्र श्री अब्दुल गफूर को आवंटित किया गया था। आवंटी की मृत्यु दिनांक 28.11.2023 को हो गई है। मृत्यु उपरांत आवंटी के पुत्र श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी पुत्र स्व. श्री अब्दुल सलाम अन्सारी ने शपथ पत्र, आई-डी, वसीयत नामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवास के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास का हस्तान्तरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कराये अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास का स्वामित्व हस्तान्तरण श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी पुत्र स्व. श्री अब्दुल सलाम अन्सारी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा